

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक.एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि/2017/अलेसे.111/800

दिनांक 10-10-2017

आदेश संख्या 182/2017-18

विभागीय आदेश संख्या 173/2017-18 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा जारी आदेश में क्रम संख्या 4,14,16 एवं 33 पर अंकित कार्मिक का नाम विलोपित करते हुए, उनके स्थान पर निम्नलिखित कार्मिकों का मनोनयन किया जाता है ।

S. NO.	NAME	MERIT	DEPARTMENT
1	RAMKISHOR YADAV	703	FA AND CAO - 7775 , RWSSMB , UDAIPUR , UDAIPUR
2	ROHIT KUMAR YADAV	1010	JOINT DIRECTOR (R.O.) - 16919 , LFAD , UDAIPUR , UDAIPUR
3	DEEPANSHU SOLANKI	1380	DIRECTOR - 848 , MINES AND GEOLOGY , UDAIPUR , UDAIPUR
4	VIJAYLAXMI LOHAR	1486	DY. COMMISSIONER - 7211 , COMMERCIAL TAXES , UDAIPUR , UDAIPUR


(प्रदीप माथुर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-111)

दिनांक :- 10-10-2017

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-111/800

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), उदयपुर, को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म कनिष्ठ लेखाकारों से पूर्ती करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
5. श्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवायें।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-111)